102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1025–एक/2006 विरूद्ध आदेश, दिनाक 8–1–2006 पारित द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 119/03–04/निगरानी.

1 गिर्राज पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त
2 रामराज पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त
3 प्रशांत नावालिग संरक्षक पिता स्वंय लक्ष्मीकान्त
निवासीगण सुरजनपुर, तहसील व जिला मुरैना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

चौधरी पुत्र श्री फतेहसिंह ब्राहम्ण
निवासी ग्राम सुरजनपुर, तहसील व जिला मुरैना म0 प्र0

–अनावेदक

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 110/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–1–2006 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुरजनपुर तहसील व जिला मुरैना में स्थित प्रश्नाधीन भूमियां जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी रामेश्वरदयाल पुत्र फतेहसिंह ब्राहम्ण थे । रामेश्वरदयाल की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामें के आधार पर नामांतरण कराये जाने बाबत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 05/01–02/अ–6 पर दर्ज किया गया । प्रकरण के प्रचलन रहने के दौरान पटवारी मौजा द्वारा दिनांक 15–1–2002 को विवादित नामांतरण पंजी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता गैरनिगरानीकर्ता चौधरीसिंह को प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार मानते हुए उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में समायोजित किया गया । आपत्तिकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 5–6–2002 को मूल आवेदन पत्र का जबाब तथा उसके साथ आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 8–5–2002 से आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अमान्य करने के साथ साथ आपत्तिकर्ता के अभिभाषक को यह निर्देशित किया गया कि प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही में कूट परीक्षण कर सकते है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2002 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी । अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 05/2002–03/निगरानी माल पर पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 28–7–2004 से निगरानी निरस्त की गयी । निगरानीकर्तागण द्वारा पुनः निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 119/03–04/निगरानी पर पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 8–1–2006 से निरस्त की गयी है । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में मुख्यतः दो बिन्दुओं पर जोर दिया गया । प्रथम यह है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति विचारण न्यायालय द्वारा अमान्य कर दी गयी थी तो आपत्तिकर्ता को उसकी अपील करना चाहिये थी । दूसरा बिन्दु यह उठाया कि जब आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त हो चुकी थी, तो उसे प्रकरण में आपत्तिकर्ता को कोई स्वत्व शेष नहीं रहते हैं । ऐसी स्थिति में उसे प्रकरण की आगामी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं बचता है, जिसे विचारण न्यायालय ने अधिकार देने में भूल की है ।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता को हितबद्ध पक्षकार माना उस समय निगरानीकर्तागण द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी थी । अपर कलेक्टर द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय में की जा रही कार्यवाही यदि दोष रहित है तो उसे कूट परीक्षण से घबराना नहीं चाहिये । इन्हीं तथ्यों के संबंध में निगरानीकर्तागण द्वारा आयुक्त चुंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निराकरण अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा किया जा चुका था । आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा भी अपने आदेश से अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गयी है । निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई सारवान तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो । अतः निगरानीकर्तागण अभिभाषक अपना पक्ष रखने में असफल रहे हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2006 की पुष्टि की जाती है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश